

## सरकार द्वारा शपिगि संबंधी चुनौतियों को हल करने हेतु प्रस्तावित उपाय

सरोत: पीआईबी

केंद्रीय वाणजि्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित अंतर-मंत्रालयी बैठक में बढ़ती वस्तु परविहन लागत, कंटेनर की कमी और बंदरगाहों पर भीड़भाड़ से संबंधित चिताओं पर विचार किया गया।

- बैठक के मुख्य निर्णय: जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (JNPA) में खाली कंटेनरों को 90 दिनों तक मुफ्त भंडारण की अनुमति देने जैसे उपायों के साथ शिपिंग लागत में कमी करना।
  - नवी मुंबई में स्थित JNPAएक प्रमुख कंटेनर बंदरगाह है, जो**भारत के लगभग 50% कंटेनर कार्गो को प्रबंधित करता है।** यह विश्व के शीर्ष 100 कंटेनर बंदरगाहों में 26 वें स्थान पर है और 200 से अधिक वैश्विक बंदरगाहों से जुड़ा है।
- नवरत्न कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CONCOR) ने लोडिंगि, हैंडलिंग और भंडारण शुल्क में कटौती की है।
- शपिगि कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) ने कंटेनर क्षमता को 9,000 ट्वेंटी-फीट एकुइवेलेंट इकाइयों (TEU) तक बढ़ाने के लिये जहाज़ो को किराए पर लेने की घोषणा की, साथ ही पाँच और कंटेनर जहाज़ो को हासलि करने की योजना बनाई।
- <u>केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)</u> द्वारा बंदरगाहों पर दो 20 फीट कंटेनरों की एक साथ स्क्रीनिंग के माध्यम से तीव्र कस्टम कलीयरेंस की दिशा में कदम उठाया गया।
- अवैध मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने और नकद लेन-देन को रोकने के लिये निजी कंटेनर यार्डों को अब GST अधिकारियों के पास पंजीकरण कराना होगा।
- मालवाहक संघों और निर्यातकों ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के उपायों से रसद संबंधी बाधाएँ दूर होंने के साथ व्यापार प्रवाह बढ़ेगा।

और पढ़ें: कंटेनर पोरट परफॉरमेंस इंडेक्स (CPPI) 2023

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/government-announces-measures-to-resolve-shipping-woes